न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/146 **दायरा दिनांक : 04.07.2025**

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र गोकुल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ, तहसील रायपुर, जिला झालावाड
2. मनोहर पुत्र गोकुल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ, तहसील रायपुर, जिला झालावाड
3. रमेश पुत्र गोकुल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ, तहसील रायपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. मांगीबाई पुत्री कंवरलाल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ, तहसील रायपुर, जिला झालावाड
2. मेहताब पुत्र जगन्नाथ, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ, तहसील रायपुर, जिला झालावाड
3. बदामबाई पत्नी कैलाश चन्द, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ, तहसील रायपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 135/2024 निर्णय दिनांक 28.04.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम फतेहगढ़ पटवार हल्का फतेहगढ, तहसील पिडावा की आराजी खाता सं. 317 के खसरा नं. 292/1090 हेक्टर (1 बीघा 13 बिस्वा) प्रार्थिया के शामलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण सं. 70/2021 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसकी अपील न्यायालय हाजा में होने पर अपील संख्या 2023/120 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 अपास्त किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पिडावा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2025 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम हिम्मतगढ, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 292/1090 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी नं. 1227/292 के बाबत रास्ते का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें दिनांक 27.10.2021 को एक तरफा निर्णय पारित कर दिया था। उक्त निर्णय के खिलाफ न्यायालय हाजा के यहां अपील पेश की न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड कर दिया था उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज किया जिसमें अपीलांट की ओर से जवाब पेश किया गया तथा दिनांक 06.12.2024 को मौका रिपोर्ट बनायी गयी उक्त मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) की आराजी खसरा नं. 292/1090 पर आने जाने का रास्ता ग्राम हिम्मतगढ की आराजी खसरा नं. 655 एवं 658 के मध्य होते हुए बताया है, उक्त आराजी खसरा नं. 292/1090 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है। रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) मांगीबाई के प्रतिनिधि बापूलाल पुत्र गोकुल, निवासी हिम्मतगढ ने भी बताया कि उक्त भूमि पर पूर्व में किशनलाल पुत्र रामचन्दर का कब्जा था। किशनलाल उक्त भूमि पर आता जाता होकर कब्जा काश्त कर रहा था। ग्रामवासी द्वारा अवगत कराया कि किशनलाल ग्राम हिम्मतगढ की खातेदारी में स्थित प्रचलित रास्ते से बरसो बरस उक्त आराजी खसरा नं. 292/1090 पर काश्त कर रहा था जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। खसरा नं. 1227/292 व खसरा नं. 292/1090 के बीच में बडा वरसाती नाला निकला हुआ है जिस कारण खसरा नं. 292/1090 का रास्ता हिम्मतगढ की तरफ है और खसरा नं. 1227/292 का रास्ता फतेहगढ की तरफ से है। खसरा नं. 292/1090 में रास्ता खसरा नं. 1227/292 में फतेहगढ की तरफ से देने पर नाले का बहाव अवरूद्ध होने से अपीलांट की आराजी खसरा नं. 1227/292 में पानी भर जायेगा जिससे सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जायेगी। जिस कारण खसरा नं. 292/1090 का रास्ता खसरा नं. 1227/292 में से दिया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आराजी खसरा नं. 1227/292 के बीच में से रास्ता दिये जाने के आदेश फरमाये है बीच में से रास्ता देने से खसरा नं. 1227/292 के टुकडे हो जायेगे। धारा 251–क के तहत वैकल्पिक रास्ता होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है एवं जो रास्ता नजदीक होता है वही पर रास्ता दिया जा सकता है। खसरा नं. 292/1090 पर जाने के लिए सबसे नजदीक रास्ता हिम्मतगढ की तरफ से आराजी खसरा नं. 655 एवं 658 के मध्य का ही है। मातहत न्यायालय ने निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने धारा 251–क का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे एक तरफा निर्णय पारित किया था जिसकी अपील धारा 96 सी.पी.सी. पर न्यायालय हाजा में होने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 अपास्त किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 292/1090 पर रास्ता दिया है। उक्त खसरा नम्बर रेस्पोडेंट के कब्जे में नहीं था। पूर्व में खसरा नं. 655, 658 ग्राम हिम्मतगढ की तरफ से रास्ता था। खसरा नं. 292/1090 और खसरा नं. 1227/292 के मध्य से नाला निकल रहा है। नया रास्ता नाले के मध्य से दिया है जिससे नाला अवरूद्ध हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे खेत के बीच से रास्ता दिया है जो गलत है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होना बताया है फिर भी नया रास्ता कायम कर दिया जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 मांगीबाई द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम फतेहगढ, तहसील पिडावा की आराजी खाता संख्या 317 के खसरा नं. 272/1090 रकबा 1.1300 हैक्टर प्रार्थिया के शामलाती खाते में दर्ज है। उक्त आराजी मौके पर प्रार्थिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थिया की आराजी पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी खसरा नं. 1227/292 रकबा 2.7822 हैक्टेयर में होकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रहा है, जिसे अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम में प्रार्थिया की आराजी पर आने जाने का रास्ता 12 फीट चौडा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 1227/292 रकबा 2.7822 हेक्टर में होकर पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जावे, रास्ता भूमि राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2021 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया की आराजी में जाने हेतु अप्रार्थी मेहताब पुत्र जगन्नाथ दांगी की आराजी खसर नं. 328 में दक्षिण में 12 फीट चौडा व 290 फीट लम्बा, अप्रार्थी बादाम बाई पत्नी कैलाशचन्द दांगी की आराजी खसरा नं. 329 में दक्षिण में 12 फीट चौडा व 165 फीट लम्बा व अप्रार्थीगण रमेशचन्द, कैलाशचन्द, मनोहरलाल पिसरान गोकुल दांगी की आराजी खसरा नं. 292/1227 में दक्षिण में 12 फीट चौडा व 270 फीट लम्बा रास्ता कायमी के आदेश दिये गये, जिससे अप्रसन्न होकर अप्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 2023/120 से अपील दायर की। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2024 से प्रकरण आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2024 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.04.2025 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर प्रार्थिया की आराजी में पंहुच हेतु तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के साथ सलंग्न नजरी नक्शा मौजा फतेहगढ दिनांक 06.12.2024 में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 1227/292 में लाल स्याही से डॉट–डॉट के रूप में दर्शाये गये रास्ते के नीचे पूर्व से पश्चिम की आरे 10 फीट चौडा नवीन रास्ता– रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि की तहसीलदार द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. की दुगुनी दर से गणना की गई क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थिया द्वारा भुगतान किये जाने पर कायम किये जाने के आदेश दिये गये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 ग्राम फतेहगढ, तहसील रायपुर की खाता संख्या 317 खसरा नं. 292/1090 रकबा 0.4173 हैक्टेयर आराजी धापू बाई, मांगी बाई पुत्री कंवरलाल की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी फतेहगढ, पटवारी हिम्मतगढ एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, हिम्मतगढ़ द्वारा दिनांक 06.12.2024 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उनवान मांगीबाई व कैलाशचन्द एवं ग्रामवासी की उपस्थिति में उक्त आराजी खसरा नं. 292/1090 का मौका देखा गया। उक्त भूमि वर्तमान

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में पड़त पड़ी हुई है। यदि कोई कृषि आराजी रास्ते के अभाव में पड़त पड़ी रहती है, तो खातेदार धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में ग्राम हिम्मतगढ़ की आराजी खसरा नं. 655 एवं 658 से खसरा नं. 292/1090 पर पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध होना अंकित किया है परन्तु प्रार्थिया की आराजी ग्राम फतेहपुर में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 एवं रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शा मौजा फतेहगढ़ दिनांक 06.12.2024 के आधार पर अप्रार्थी अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नं. 1227/292 से प्रार्थिया रेस्पोडेंट की आराजी खसरा नं. 292/1090 पर पहुंचने हेतु रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है एवं अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि रास्ता कायम होने के बाद प्रार्थिया खसरा नं. 1227/292 एवं 292/1090 की सीमा पर बने प्राकृतिक नाले के बहाव में कोई परिवर्तन नहीं करके पर्याप्त आकार का निकासी पाईप लगाकर ही उपयोग ले ताकि अप्रार्थीगण की फसल को बरसात में क्षति नहीं होवे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुरूप होने से हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा